भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 449

दिनांक 19.11.2019/ 28 **कार्तिक**, 1941 **(शक) को उत्तर के लिए**

खुले में शौच

†449. **श्री ए. राजाः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशेषतः पिछड़े वर्गों के बच्चों और लोगों को खुले में शौच करने हेतु पीट-पीट कर मार डालने के मामलों में लोगों की कुल संख्या का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश भर में ऐसे मामले प्रतिवर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित इसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस अपराध में गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे गए लोगों की संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): गृह मंत्रालय, खुले में शौच करने के लिए व्यक्तियों, विशेषत: पिछड़ी जातियों के बच्चों और लोगों की पीट-पीट कर की गई हत्या की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखता है।

(ख) से (घ): भाग(क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ड): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस " और "लोक व्यवस्था " राज्य के विषय हैं। कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने और बच्चों सहित नागरिकों की जान और संपत्ति की रक्षा करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें विधि के प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

*****